ST. PAUL'S SR. SEC. SCHOOL, PALI

DATE: 05/08/2024

(Holiday on 06th August 2024 - Tuesday)

Dear Parents & Students,

In view of the warning of Heavy Rainfall in Pali District and in compliance of the orders of the District Administration, Pali, the school will remain closed for all the students tomorrow i.e. Tuesday, 06th August 2024.

PRINCIPAL

पाली जिले में भारी वर्षा की चेतावनी के दृष्टिगत एवं जिला प्रशासन पाली के आदेशों की अनुपालना में कल यानि मंगलवार, 06 अगस्त 2024 को विद्यालय सभी विद्यार्थियों के लिए बंद रहेगा।

प्राचार्य

Encl: Letter of District Administration, Pali

राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक / विकास / शिक्षा विभाग / 2024 / ने 33 दिनांक :- 05 / 0.8/ 2024 -: आदेश :-

पाली जिले में आगामी 24 घंटों में अति भारी वर्षा की चेतावनी को मध्यनजर रखते हुए एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा पाली से प्राप्त अभिशंषा द्वारा पाली जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों का दिनांक 05.08.2024 एवं 06.08.2024 दो दिवस हेतु अवकाश घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। शिक्षकों एवं संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। सभी प्राचार्य व शिक्षक दिनांक 07.08.2024 को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम से संबंधित तैयारी सुनिश्चित करेंगें। इन निर्देशों की अवलेहना करने वाले राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(एल.एन. मंत्री) जिला कलक्टर पाली

दिनांक :- 05/08/2024 क्रमांक / विकास / शिक्षा विभाग / 2024 / 73 9 प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, प्रा./मा. शिक्षा राज. बीकानेर।

2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पाली को प्रेषित कर लेख है कि अवहेलना करने वाले विद्य ालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा. शि. / मा. शि) पाली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों से सुनिश्चित करावें।

4. जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान पालना सुनिश्चित

5. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, पाली को प्रसारित करने हेत्।

6. निजी सचिव, जिला कलक्टर, पाली / निजी सहायक, अति. जिला कलक्टर, पाली।